

# फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

क्र. संख्या ५१५५ विपक्षी ५  
 मुकदमा ५१.५५ पत्रावली संख्या ४३/२४ सन् \_\_\_\_\_

क्र. संख्या	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
-------------	-----------------	---

22/04/2022  
 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उग्रय पक्षकाराने उपस्थित। प्रार्थी श्री पन्नालाल जीवावत द्वारा प्र.पत्र आदेश 1 नियम 10(1) जा.पी. का रूब में पेश किया जो रिकार्ड पर लिया गया। प्रार्थी का जवाब प्र.पत्र रिकार्ड पर लिया गया। प्रकरण में मुल वाद में प्र.पत्र आदेश 1 नियम 10(1) जा.पी. का स्वीकार किया जाने से इस पत्रावली में भी प्र.पत्र आदेश 1 नियम 10(1) जा.पी. का स्वीकार किया जाकर प्रार्थी श्री पन्नालाल जीवावत को वकील विपक्षी के रूप में पक्षकार बनाया जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थी संशोधित वीबक फेरा करें। विपक्षी अपना जवाब पेश करें। पत्रावली वाले संशोधित वीबक/जवाब दिनांक 20/05/2022 को पेश हो।

*[Signature]*

20/5/22  
 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/प्रतिवादी/विपक्षी/रस्के उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की फालत में दिनांक ३/६/२२ को पेश हो।



26/5/22

पत्रावली बाडीया मध्य अधिवक्ता, इलाहाबाद, जयपुर पत्र पेश, शीतल पत्र मूलवात के साथ तालिका की गयी

प्रकरण में मूलवात का पत्र विहीन

लिखा गया है। का: मूलवात विहीन डिप्लोमा फॉर्म तैयार होने में कुछ दिनों में ही सर्व कार्यवाही शेष नहीं रहती। का: पत्रावली इम) फल पर हीप की जाती है पत्रावली फॉर्म पुनः होकर नम्बर में कम है। प्रव में जारी गई दुर्लभ जाती है

निर्णय पुनः पत्रावली

नि. मनुष्य  
LMA

idea  
Pun  
Pun



सहायक कलक्टर  
(S.D.O) मावली

26/5/22